प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल।

सेवा में,

1. समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
   माध्यमिक विद्यालय उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
   वर्ष 2021 परिषदीय परीक्षा केन्द्र
   उत्तराखण्ड।

पत्रांक : उ0वि0शि0प0–सिस्टम सेल/परि0प0/ 3230-6494 /2021–22, दिनांक 04 जून 2021।

विषय : उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर (नैनीताल) द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परिषदीय परीक्षा 2021 के परीक्षाफल विषयक।

महोदय,

शासनादेश संख्या : **226/XXIV-B-5/2020-3(1)2020,** माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 25 अप्रैल, 2021 के द्वारा दिनांक 04 मई, 2021 से 22 मई, 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 10 एवं शासनादेश संख्या : **401/XXIV-B-5/2021-03(01) 2020,** माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 11 जून, 2021 के द्वारा दिनांक 04 मई, 2021 से 22 मई, 2021 के मध्य प्रस्तावित कक्षा 12 की उत्तराखण्ड बोर्ड परीक्षा रद्द/निरस्त कर दी गयी। हाईस्कूल (कक्षा 10) इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) परीक्षाफल निर्माण हेतु शासनादेश संख्या : **445/XXIV-B-5/2021-03(01)2020,** माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 03 जुलाई 2021 के क्रम में कार्यवाही की जानी है। शासनादेश संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। **शासनादेश का भली–भाँति अध्ययन कर तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।** किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में तत्काल परिषद् कार्यालय से सम्पर्क कर लें।

क. हाईस्कूल (कक्षा X) मूल्यांकन/परीक्षाफल निर्माण हेतु विद्यालय स्तरीय प्रक्रिया

1. प्रत्येक विद्यालय स्तर पर हाईस्कूल (कक्षा 10) परिषदीय परीक्षा 2021 के मूल्यांकन/परीक्षाफल का निर्माण निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुये किया जायेगा–

i. विगत वर्षों की भांति हाईस्कूल (कक्षा 10) के छात्रों का प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम पूर्णांक 100 अंकों का होगा अर्थात परीक्षाफल 500 अंकों के आधार पर घोषित किया जायेगा। भाषा सहित जिन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था नहीं है, अर्थात जिन विषयों में 100 अंक की सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा आयोजित की जाती है, उन विषयों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) 100 अंकों में से किया जायेगा। जिन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है, उन विषयों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु निर्धारित अंकों को 100 में से घटाकर अवशेष पूर्णांक में से किया जायेगा। आंतरिक मूल्यांकन अथवा प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक यथावत् रहेंगे।

ii. छात्रों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) उनके विगत वर्षों के कक्षा 09 की परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं कक्षा 10 के वर्ष भर में विद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं (मासिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा प्री–बोर्ड आदि) में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली किसी एक परीक्षा में प्राप्त अंकों **अथवा** संबंधित विषयाध्यापक द्वारा कक्षा/गृह कार्य/प्रोजेक्ट कार्य आदि के ऑन/ऑफ लाइन आकलन/मूल्यांकन के आधार पर संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार (Weightage) के आधार पर किया जायेगा। ***यह अधिभार (Weightage) प्रत्येक विषय में कक्षा 9 हेतु 75% एवं कक्षा 10 हेतु 25% होगा।***

iii. शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार हाईस्कूल (कक्षा 10) की परिषदीय परीक्षा 2021 में पंजीकृत हुये छात्र–छात्राओं को मूल्यांकन/परीक्षाफल निर्माण हेतु सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु प्रत्येक विषय में कक्षा/विषयवार निम्नवत **अधिभार (Weightage)** के अनुसार अंक प्रदान करते हुये उनका मूल्यांकन/परीक्षाफल तैयार किया जायेगा–

क्र0 सं0	विषय		सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंक	अधिभार (Weightage) % के अनुसार अंक	
	कोड	नाम		कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा (75%)	कक्षा 10 की मासिक/अर्द्ध वार्षिक/प्री बोर्ड परीक्षा/अन्य (25%)
1	001	Hindi	100	**75** अंक	**25** अंक
2	004	Urdu	100	**75** अंक	**25** अंक
3	005	Punjabi	100	**75** अंक	**25** अंक
4	006	Bengali	100	**75** अंक	**25** अंक
5	021	English	100	**75** अंक	**25** अंक
6	028	Sanskrit	100	**75** अंक	**25** अंक
7	031	Mathematics	80	**60** अंक	**20** अंक
8	032	Home Science	80	**60** अंक	**20** अंक
9	033	Science	80	**60** अंक	**20** अंक
10	034	Social Science	80	**60** अंक	**20** अंक
11	035	Hindustani Music Vocal	25	**19** अंक	**06** अंक
12	036	Hindustani Music Melodic Instru.	25	**19** अंक	**06** अंक
13	037	Hindustani Music Percu. Instru.	25	**19** अंक	**06** अंक
14	041	Painting	100	**75** अंक	**25** अंक
15	042	Elements of Business	100	**75** अंक	**25** अंक
16	043	Elements of Book-Keep. & Account.	100	**75** अंक	**25** अंक
17	044	Type Writing English or Hindi	25	**19** अंक	**06** अंक
18	045	Home Science	80	**60** अंक	**20** अंक
19	046	Information Technology	40	**30** अंक	**10** अंक
20	050	Agriculture	60	**45** अंक	**15** अंक
21	062	Multi Skilling	30	**22** अंक	**08** अंक

iv. हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षा में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, संगीत, टाइपराइटिंग, आई0टी0, कृषि एवं मल्टीस्किलिंग सहित जिन विषयों में आंतरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है उनमें विद्यालयों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक परीक्षाएं माह मार्च–अप्रैल 2021 में संपादित की जा चुकी हैं। **आंतरिक मूल्यांकन/प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों की पृथक से परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये ओ0एम0आर0/सी0सी0–16 पर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी छात्र/छात्रा का आंतरिक/प्रयोगात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया हो तो उसके लिये इसी अवधि में शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा सम्पादित कर ली जायेगी।**

v. **हाईस्कूल (कक्षा 10) व्यक्तिगत छात्रों** के संबंध में भी उक्तवत प्रक्रिया का पालन करते हुये परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। कक्षा 10 की परीक्षा हेतु निर्धारित अधिभार (25 प्रतिशत) के अनुसार अंक प्रदान करने हेतु संबंधित विषय हेतु विद्यालय के विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित अधिभार के आधार पर निर्धारित अंकों की ऑन/ऑफ लाइन मौखिक परीक्षा आयोजित करते हुये तद्नुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। **इस प्रकार की परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित समस्त अभिलेख (रिकार्ड) विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल के निर्माण की प्रक्रिया उस विद्यालय द्वारा संपादित की जायेगी जहाँ से परीक्षार्थी ने परीक्षा हेतु आवेदन किया है। विद्यालय द्वारा**

व्यक्तिगत परीक्षा से संबंधित समस्त प्रपत्र पृथक से तैयार कर उस विद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे जो संबंधित को परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया था।

vi. शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार छात्रों के सही, विश्वसनीय व वैध आंकलन/मूल्यांकन करने हेतु विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। विद्यालय का परीक्षा प्रभारी इस समिति का पदेन सचिव एवं समस्त विषयाध्यापक इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति में मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पर्यवेक्षक भी नामित किया जायेगा। इस समिति द्वारा उक्तवत प्रक्रिया का पालन करते हुये वर्ष 2021 की हाईस्कूल (कक्षा 10) परीक्षा में पंजीकृत हुये छात्र–छात्राओं को अंक प्रदान किये जायेंगे। इस हेतु विद्यालय स्तर पर पंजिकाएं बनायी जायेंगी, जिसमें परीक्षा मूल्यांकन समिति द्वारा इस संबंध में की गयी समस्त कार्यवाही एवं छात्र–छात्राओं को प्रदत्त अंकों की सुस्पष्ट अंकना की जायेगी। विद्यालय स्तर पर छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन एवं वास्तविक आंकलन/मूल्यांकन का पूर्ण उत्तरदायित्व इसी समिति का होगा। समिति से पूर्ण विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करेगी ताकि आंकलन/मूल्यांकन की वैधता एवं सार्थकता बनी रहे। **समिति इस सम्बन्ध में की गयी समस्त कार्यवाही एवं अभिलेखों को तैयार करते हुये उन्हें सुरक्षित भी रखेगी।**

vii. विद्यालय स्तर पर गठित समिति निर्दिष्ट समयावधि में उक्त कार्य का सम्पादन कर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र–02 (प्राप्तांक सूची) में अंकों की सुस्पष्ट अंकना दो प्रतियों में तैयार कर, प्रपत्र की एक प्रति अपने विद्यालय की हाईस्कूल (कक्षा 10) की परिषदीय परीक्षा हेतु निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्र (जो मूल्यांकन केन्द्र के रूप में माना जायेगा) को उपलब्ध करायेंगे। प्रपत्र की दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। समिति परिषद् द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों को सही प्रकार से पूरित कर उपलब्ध करायेगी। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय को परिषद् द्वारा निम्न प्रारूप/प्रपत्र उपलब्ध कराए जायेंगे–

क्र0सं0	प्रपत्र का विवरण	प्रक्रिया का विवरण
1	**प्रपत्र–01** : प्राप्तांक विवरण प्रपत्र	सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंकों (100/80/60/40/30 अथवा 25 अंक) के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को 6 प्रकार के प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विषय की सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अधिभार/अंकों के अनुसार प्रत्येक विषय में अंकों की गणना हेतु अलग–अलग प्रपत्र का प्रयोग करते हुये पंजिका तैयार की जायेगी। पंजिका अग्रिम आदेशों तक विद्यालय में ही सुरक्षित रखी जायेगी।
2	**प्रपत्र–02** : प्राप्तांक सूची	प्रपत्र – 01 के अनुसार तैयार प्राप्तांक पंजिका की सहायता से प्रत्येक विषय हेतु अलग–अलग **प्रपत्र–02, प्राप्तांक सूची** दो प्रतियों में तैयार की जायेगी। एक प्रति परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्र को प्रेषित की जायेगी, दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
3	**प्रपत्र–03** : जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाना है	विभिन्न (यथा नाम कटने, मृत्यु होने आदि) कारणों जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाना उनकी अंकना इस **प्रपत्र–03** में की जायेगी। प्रपत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। दो प्रति परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्र को प्रेषित की जायेगी और तीसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी
4	**के0मू0हा0 6(S)**	यह प्रपत्र दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा। एक प्रति परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्र को प्रेषित की जायेगी और दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी
5	परीक्षा हेतु पंजीकृत छात्रों की नामावली	परीक्षार्थियों की अनुक्रमांकयुक्त नामावली, विद्यालय में ही सुरक्षित रखी जायेगी।

नोट : 1. ***क्रमांक 2, 3 एवं 4 में अंकित प्रपत्रों को एक लिफाफे में एक साथ सीलबंद कर परीक्षा केन्द्र (मूल्यांकन केन्द्र) को उपलब्ध कराया जायेगा।***

2. प्रपत्रों/प्रारूपों की नमूना प्रतियां उपलब्ध करायी जा रही हैं, विद्यालय स्तर पर आवश्यकतानुसार फोटो प्रति तैयार कर सूचना अंकित की जायेगी।

इण्टरमीडियेट (कक्षा XII एवं कृषि वर्ग में F1 & F2 हेतु) हेतु मूल्यांकन/परीक्षाफल निर्माण हेतु विद्यालय स्तरीय प्रक्रिया

2. **प्रत्येक विद्यालय स्तर पर इण्टरमीडियेट (कक्षा XII मानविकी, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग हेतु) परिषदीय परीक्षा 2021 के मूल्यांकन/परीक्षाफल का निर्माण निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुये किया जायेगा–**

i. विगत वर्षों की भांति इण्टमीडियेट (कक्षा 12) के छात्रों का प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम पूर्णांक 100 अंकों का होगा अर्थात परीक्षाफल 500 अंकों के आधार पर घोषित किया जायेगा। भाषा सहित जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था नहीं है, अर्थात जिन विषयों में 100 अंक की सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा आयोजित की जाती है, उन विषयों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) 100 अंकों में से किया जायेगा। जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है, उन विषयों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु निर्धारित अंकों को 100 में से घटाकर अवशेष पूर्णांक में से किया जायेगा। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक यथावत् रहेंगे।

ii. छात्रों के सैद्धान्तिक (लिखित) भाग का मूल्यांकन/आंकलन (Assessment) उनके विगत वर्षों के कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा में सर्वोत्तम तीन (Best Three) मुख्य विषयों में प्राप्त अंकों के औसत, कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा में विषय में प्राप्त अंकों एवं इस वर्ष की कक्षा 12 हेतु वर्ष भर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं (मासिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा प्री–बोर्ड आदि) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली किसी एक परीक्षा में प्राप्त अंकों **अथवा** संबंधित विषयाध्यापक द्वारा कक्षा/गृह कार्य/प्रोजेक्ट कार्य आदि के ऑन/ऑफ लाइन आकलन/मूल्यांकन के आधार पर संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार (Weightage) प्रदान किया जायेगा। **यह अधिभार (Weightage) प्रत्येक विषय में कक्षा 10 हेतु 50%, कक्षा 11 हेतु 40% एवं कक्षा 12 हेतु 10% होगा।**

इण्टरमीडियेट में जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित की जाती है उन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को कक्षा 12 हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत अधिभार (Weightage) में परिवर्तित करते हुये तदनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। यह प्रक्रिया परिषद स्तर पर ही संपादित की जायेगी अर्थात विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, अर्थात जिन विषयों में 100 अंकों की सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा आयोजित की जाती है उन विषयों में कक्षा 12 हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत अधिभार (Weightage) इस वर्ष की कक्षा 12 हेतु वर्ष भर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं (मासिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा प्री–बोर्ड आदि) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली किसी एक परीक्षा में प्राप्त अंकों **अथवा** संबंधित विषयाध्यापक द्वारा कक्षा/गृह कार्य/प्रोजेक्ट कार्य आदि के ऑन/ऑफ लाइन आकलन/मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

iii. इण्टरमीडियेट (कक्षा 12) की परिषदीय परीक्षा 2021 में कला/विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग में पंजीकृत हुये छात्र–छात्राओं को मूल्यांकन/परीक्षाफल निर्माण हेतु सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु प्रत्येक विषय में विषयवार निम्नवत **अधिभार (Weightage)** के अनुसार अंक प्रदान करते हुये उनका मूल्यांकन/परीक्षाफल तैयार किया जायेगा–

क्र0 सं0	**विषय**		**सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंक**	**अधिभार (Weightage) % के अनुसार अंक**		
	कोड	**नाम**		कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा **(50%)**	कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा **(40%)**	कक्षा 12 की मासिक/अर्द्ध वार्षिक/प्री बोर्ड परीक्षा/अन्य **(10%)**
1	101	हिन्दी	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
2	103	अंग्रेजी	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
3	105	संस्कृत	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
4	106	उर्दू	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक

5	107	पंजाबी	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
6	110	इतिहास	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
7	112	अर्थशास्त्र	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
8	121	राजनीति विज्ञान	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
9	124	शिक्षाशास्त्र	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
10	125	तर्कशास्त्र	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
11	128	गणित	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
12	133	बिजनेस स्टडीस	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
13	111	भूगोल	70	**35** अंक	**28** अंक	**07** अंक
14	113	गृह विज्ञान	70	**35** अंक	**28** अंक	**07** अंक
15	122	मनोविज्ञान	70	**35** अंक	**28** अंक	**07** अंक
16	126	सैन्य विज्ञान	70	**35** अंक	**28** अंक	**07** अंक
17	127	भूगर्भ विज्ञान	70	**35** अंक	**28** अंक	**07** अंक
18	129	भौतिक विज्ञान	70	**35** अंक	**28** अंक	**07** अंक
19	130	रसायन विज्ञान	70	**35** अंक	**28** अंक	**07** अंक
20	131	जीव विज्ञान	70	**35** अंक	**28** अंक	**07** अंक
21	144	कम्प्यूटर	70	**35** अंक	**28** अंक	**07** अंक
22	123	समाजशास्त्र	80	**40** अंक	**32** अंक	**08** अंक
23	132	एकाउण्टेंसी	80	**40** अंक	**32** अंक	**08** अंक
24	114	हिन्दुस्तानी संगीत (गायन)	30	**15** अंक	**12** अंक	**03** अंक
25	115	हिन्दु0 संगीत (मेलो. वाद.)	30	**15** अंक	**12** अंक	**03** अंक
26	116	हिन्दु0 संगीत (पर्क. वाद.)	30	**15** अंक	**12** अंक	**03** अंक
27	120	ड्राइंग एवं पेंटिंग	30	**15** अंक	**12** अंक	**03** अंक

3- इण्टरमीडियेट कृषि वर्ग भाग एक (कक्षा 11-F1) के परीक्षाफल का निर्माण कक्षा 10 की परिषदीय परीक्षा में सर्वोत्तम तीन (Best Three) मुख्य विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर एवं कक्षा 11 हेतु वर्ष भर आयोजित विभिन्न परीक्षाओं (मासिक अथवा अर्द्धवार्षिक अथवा प्री–बोर्ड आदि) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली किसी एक परीक्षा में प्राप्त अंकों **अथवा** संबंधित विषयाध्यापक द्वारा कक्षा/गृह कार्य/प्रोजेक्ट कार्य आदि के ऑन/ऑफ लाइन आकलन/मूल्यांकन के आधार पर संबंधित विषय हेतु निर्धारित अधिभार (Weightage) प्रदान किया जायेगा। **यह अधिभार (Weightage) प्रत्येक विषय में कक्षा 10 हेतु 75%, एवं कक्षा 11 हेतु 25% होगा।**

इण्टरमीडियेट कृषि वर्ग भाग एक कृषि वर्ग में भाग दो (कक्षा 12 F2) के परीक्षाफल का निर्माण कक्षा 10 एवं 12 के सदर्भ में अन्य विषयों हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। किन्तु कक्षा 11 के अंकों की गणना समस्त विषयों में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर की जायगी। **यह अधिभार (Weightage) प्रत्येक विषय में कक्षा 10 हेतु 50%, कक्षा 11 हेतु 40% एवं कक्षा 12 हेतु 10% होगा। इस वर्ग में** मूल्यांकन/परीक्षाफल निर्माण हेतु सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु प्रत्येक विषय में विषयवार निम्नवत **अधिभार (Weightage)** के अनुसार अंक प्रदान करते हुये उनका मूल्यांकन/परीक्षाफल तैयार किया जायेगा–

a. इण्टर (कक्षा XI/F1) परीक्षा 2021

क्र0 सं0	विषय		सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंक	अधिभार (Weightage) % के अनुसार अंक	
	कोड	नाम		कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा (75%)	कक्षा 11 की मासिक/अर्द्ध वार्षिक/प्री बोर्ड परीक्षा/अन्य (25%)
1	138	कृषि गणित एवं प्रारम्भिक सांख्यिकी	50	**37** अंक	**13** अंक
2	134	कृषि शस्य विज्ञान	50	**37** अंक	**13** अंक
3	135	कृषि वनस्पति विज्ञान	50	**37** अंक	**13** अंक
4	136	कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान	50	**37** अंक	**13** अंक
5	137	कृषि अभियंत्रण	50	**37** अंक	**13** अंक

b. इण्टर (कक्षा XII/F2) परीक्षा 2021

क्र0 सं0	विषय		सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंक	अधिभार (Weightage) % के अनुसार अंक		
	कोड	नाम		कक्षा 10 की परिषदीय (बोर्ड) परीक्षा (50%)	कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा (40%)	कक्षा 12 की मासिक/अर्द्ध वार्षिक/प्री बोर्ड परीक्षा/अन्य (10%)
1	102	हिन्दी	100	**50** अंक	**40** अंक	**10** अंक
2	139	कृषि शस्य विज्ञान	50	**25** अंक	**20** अंक	**05** अंक
3	140	कृषि अर्थशास्त्र	50	**25** अंक	**20** अंक	**05** अंक
4	141	कृषि जन्तु विज्ञान	50	**25** अंक	**20** अंक	**05** अंक
5	142	कृषि पशुपालन एव पशु चिकित्सा विज्ञान	50	**25** अंक	**20** अंक	**05** अंक
6	143	कृषि रसायन विज्ञान	50	**25** अंक	**20** अंक	**04** अंक

iv. इण्टरमीडियेट (कक्षा 12 एवं F1) परीक्षा में जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा की व्यवस्था है उनमें प्रयोगात्मक परीक्षाएं माह मार्च–अप्रैल 2021 में संपादित की जा चुकी हैं। **यदि किसी छात्र/छात्रा की प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की गयी हो तो उसके लिये परिषद् द्वारा ऑन/ऑफ लाइन, लिखित/मौखिक रूप से सम्पादित किये जाने की व्यवस्था की जा चुकी है।**

v. इण्टरमीडियेट व्यक्तिगत छात्रों के संबंध में भी उक्तवत प्रक्रिया का पालन करते हुए परीक्षाफल तैयार किया जायेगा। कक्षा 10 एवं कक्षा 11 हेतु निर्धारित अधिभार संस्थागत छात्रों की ही भांति प्रदान किया जायेगा किन्तु कक्षा 12 हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत अधिभार निम्नवत प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किया जायेगा–

a. जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित की जाती है उन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों को इस हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत अधिभार (Weightage) में परिवर्तित करते हुये तद्नुसार अंक प्रदान किये जायेंगे। विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, यह प्रक्रिया परिषद स्तर पर ही संपादित की जायेगी।

b. जिन विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, अर्थात जिन विषयों में 100 अंकों की सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा आयोजित की जाती है उन विषयों में उक्तवत निर्धारित 10 प्रतिशत अधिभार (Weightage) को प्रदान करने हेतु विद्यालय स्तर पर विद्यालय के विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित अधिभार के अनुसार निर्धारित अंकों की ऑन/ऑफ लाइन, मौखिक परीक्षा आयोजित करते हुये तद्नुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।

इस प्रकार की परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित समस्त अभिलेख (रिकार्ड) विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल के निर्माण की प्रक्रिया उस विद्यालय द्वारा संपादित की जायेगी जहाँ से परीक्षार्थी ने परीक्षा हेतु आवेदन किया है। विद्यालय द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा से संबंधित समस्त प्रपत्र पृथक से तैयार कर उस विद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे जो संबंधित को परीक्षा केन्द्र आवंटित किया गया था।

vi. शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार छात्रों के सही, विश्वसनीय व वैध आंकलन/मूल्यांकन करने हेतु विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। विद्यालय का परीक्षा प्रभारी इस समिति का पदेन सचिव एवं समस्त विषयाध्यापक इस समिति के सदस्य होंगे। इस समिति में मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पर्यवेक्षक भी नामित किया जायेगा। इस परीक्षा मूल्यांकन समिति द्वारा उक्तवत प्रक्रिया का पालन करते हुये वर्ष 2021 की इण्टरमीडियेट (कक्षा 12) परीक्षा मे पंजीकृत हुये छात्र–छात्राओं को अंक प्रदान किये जायेंगे। इस हेतु विद्यालय स्तर पर पंजिकाएं बनायी जायेगी, जिसमें समिति द्वारा इस संबंध में की गयी समस्त कार्यवाही एवं छात्र–छात्राओं को प्रदत्त अंकों की सुस्पष्ट अंकना की जायेगी। विद्यालय स्तर पर छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन एवं वास्तविक आंकलन/मूल्यांकन का पूर्ण उत्तरदायित्व इसी समिति का होगा। समिति से पूर्ण विश्वसनीयता एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करेगी ताकि आंकलन/मूल्यांकन की वैधता एवं सार्थकता बनी रहे। **समिति इस सम्बन्ध में की गयी समस्त कार्यवाही एवं अभिलेखों को तैयार करते हुये उन्हें सुरक्षित भी रखेगी।**

vii. विद्यालय स्तर पर गठित समिति निर्दिष्ट समयावधि में उक्त कार्य का सम्पादन कर परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये **प्रपत्र : दो (प्राप्तांक सूची)** में अंकों की सुस्पष्ट अंकना दो प्रतियों में तैयार कर, प्रपत्र की एक प्रति अपने विद्यालय की इण्टरमीडियेट (कक्षा 12) की परिषदीय परीक्षा हेतु निर्धारित किये गये परीक्षा केन्द्र (जो मूल्यांकन केन्द्र के रूप में माना जायेगा) को उपलब्ध करायेंगे। प्रपत्र की दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। समिति परिषद् द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों को सही प्रकार से पूरित कर उपलब्ध करायेगी। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय को परिषद् द्वारा निम्न प्रारूप/प्रपत्र उपलब्ध कराए जायेंगे–

क्र0सं0	प्रपत्र का विवरण	विवरण
1	**प्रपत्र–01** : प्राप्तांक विवरण प्रपत्र	सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अंकों (100/80/70 अथवा 30 अंक, कृषि वर्ग वाले विद्यालयों में F1 हेतु 50 एवं 50 तथा F2 हेतु 100, 50 एवं 50 अंक) के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को 9 प्रकार के प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं। विषय की सैद्धान्तिक (लिखित) परीक्षा हेतु निर्धारित अधिभार/अंकों के अनुसार प्रत्येक विषय में अंकों की गणना हेतु अलग–अलग प्रपत्र का प्रयोग करते हुये पंजिका तैयार की जायेगी। पंजिका अग्रिम आदेशों तक विद्यालय ही में सुरक्षित रखी जायेगी।
2	**प्रपत्र–02** : प्राप्तांक सूची	प्रपत्र – 01 के अनुसार तैयार प्राप्तांक पंजिका की सहायता से प्रत्येक विषय हेतु अलग–अलग **प्रपत्र–02, प्राप्तांक सूची** दो प्रतियों में तैयार की जायेगी। एक प्रति परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्र को सीलबंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी, दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
3	**प्रपत्र–03** : जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाना है	विभिन्न (यथा नाम कटने, मृत्यु होने आदि) कारणों जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाना उनकी अंकना इस **प्रपत्र–3** में की जायेगी। प्रपत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। दो प्रति परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्र को प्रेषित की जायेगी और तीसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी
4	**के0मू0हा0 6(S)**	यह प्रपत्र दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा। एक प्रति परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्र को प्रेषित की जायेगी और दूसरी प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
5	परीक्षा हेतु विद्यालय के पंजीकृत छात्रों की नामावली	परीक्षार्थियो के अनुक्रमांकयुक्त नामावली विद्यालय में ही सुरक्षित रखी जायेगी।

नोट : ***1. क्रमांक 2, 3 एवं 4 में अंकित प्रपत्रों को एक लिफाफे में एक साथ सीलबंद कर परीक्षा केन्द्र (मूल्यांकन केन्द्र) को उपलब्ध कराया जायेगा।***

2. प्रपत्रों/प्रारूपों की नमूना प्रतियां उपलब्ध करायी जा रही हैं, विद्यालय स्तर पर आवश्यकतानुसार फोटो प्रति तैयार कर सूचना अंकित की जायेगी।

4- जिस विद्यालय में हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) दोनों स्तरों का मूल्यांकन होना है वहां पर एक ही समिति कार्य करेगी। हाईस्कूल (कक्षा 10) के संदर्भ में हाईस्कूल के विषयाध्यापक एवं इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) के संबंध में इण्टर के विषयाध्यापक इस समिति के सदस्य होंगे।

5- इस परीक्षा एवं प्रक्रिया से संबंधित समस्त अभिलेख, परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से आगामी एक वर्ष तक अनिवार्यतः विद्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे। परिषद् द्वारा मांगे जाने अथवा सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगे जाने पर अभिलेख उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का होगा।

हाईस्कूल (कक्षा 10) एवं इण्टरमीडियेट (कक्षा 12 एवं कृषि वर्ग में F1 & F2 हेतु) परीक्षाफल निर्माण हेतु परीक्षा केन्द्र (मूल्यांकन केन्द्र) स्तरीय प्रक्रिया

6- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट परिषदीय परीक्षा 2021 हेतु जो विद्यालय परीक्षा केन्द्र के रूप में अधिसूचित किये गये थे वे समस्त परीक्षा केन्द्र उन समस्त विद्यालयों के लिये मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे जिनके वे परीक्षा केन्द्र थे। इन परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्रों पर हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट परिषदीय परीक्षा 2021 के मूल्यांकन/परीक्षाफल का निर्माण निम्नवत प्रक्रिया का पालन करते हुये किया जायेगा–

i. शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विद्यालयो से **प्रपत्र – 2 (प्राप्तांक सूची)** पर प्राप्त सूचना (अंकों) के आधार पर केन्द्र में परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्रों (ओ0एम0आर0/सी0सी0 16) पर संबंधित छात्र–छात्राओं के प्राप्तांकों की अंकना हेतु परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्र स्तर पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। विद्यालय का परीक्षा प्रभारी इस समिति का पदेन सचिव होगा। इस समिति में मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा एक पर्यवेक्षक भी नामित किया जायेगा। इस समिति की देख–रेख में परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रपत्रों (ओ0एम0आर0/सी0सी0 16) पर संबंधित छात्र–छात्राओं के प्राप्तांकों की अंकना सावधानीपूर्वक की जायेगी।

ii. यह समिति विद्यालयों से प्राप्त अंकों एवं प्रपत्रों के विवरण का अवलोकन एवं परीक्षण करेगी। इसमें कोई त्रुटि परिलक्षित होने पर सम्बन्धित विद्यालय स्तर से इसका निराकरण करवाने के उपरांत ही अंकों की अंकना ओ0एम0आर0 अवार्ड ब्लैंक /सी0सी0 16 में करवायेगी। समिति परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों को भी पूरित करेगी। इस प्रकार की अंकना करने हेतु संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अपने विद्यालय से इस प्रकार के कार्य में दक्ष अध्यापकों की व्यवस्था करेगा। इस हेतु कम से कम दो अध्यापकों की तैनाती की जायेगी, जिसमें एक के द्वारा विद्यालय से प्राप्त अंकों की अंकना ओ0एम0आर0 अवार्ड ब्लैंक/सी0सी0 16 प्रपत्र में की जायेगी तथा दूसरे के द्वारा ओ0एम0आर0 अवार्ड ब्लैंक /सी0सी0 16 में अंकित किये गये अंकों की अंकना की जॉच की जायेगी। छात्र संख्या अधिक होने की स्थिति में तद्नुसार दो के गुणांकों में अतिरिक्त दक्ष अध्यापकों की व्यवस्था की जा सकती है।

iii. समिति परिषद् द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त प्रपत्रों को सही प्रकार से पूरित कर उपलब्ध करायेगी। इस हेतु प्रत्येक विद्यालय को परिषद् द्वारा हाईस्कूल एवं इण्टर परीक्षा हेतु अलग–अलग निम्न सामग्री एवं प्रारूप/प्रपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे –

क्र0सं0	प्रपत्र का विवरण	विवरण
1	**OMR एवार्ड ब्लैंक**	1. परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्र में विद्यालयो से प्राप्त **प्रपत्र : दो, प्राप्तांक सूची** से अंकों की अंकना **OMR एवार्ड ब्लैंक** में की जायेगी। समिति द्वारा यह कार्य इस प्रकार के कार्य में दक्ष अध्यापकों की सहायता से कराया जायेगा। इस हेतु न्यूनतम दो अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी। जिसमें से एक अध्यापक के द्वारा विद्यालय से प्राप्त अंकों की अंकना एवं दूसरे अध्यापक के द्वारा अंकित किये गये अंकों की अंकना की जॉच की जायेगी। **2. OMR एवार्ड ब्लैंक** में परीक्षक संख्या एवं हस्ताक्षर वाले कॉलम में अंकनाकर्त्ता, अंकेक्षक संख्या एवं हस्ताक्षर वाले कॉलम में जॉचकर्त्ता तथा उप प्रधान परीक्षक संख्या एवं हस्ताक्षर वाले कॉलम में परीक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर होंगे। अंकना के उपरांत **OMR** एवार्ड ब्लैंक लिफाफा संख्या : एक एवं उसके प्रतिपर्ण को लिफाफा संख्या दो में रखा जायेगा।
2	**सी सी – 16**	उक्तानुसार जिन परीक्षार्थियों के **OMR** एवार्ड ब्लैंक में अनुक्रमांक अंकित न हो अथवा **OMR** एवार्ड ब्लैंक में त्रुटि/कटिंग हो जाने पर सी सी – 16 दो प्रतियों में तैयार की जायेगी। प्रथम प्रति लिफाफा संख्या एक एवं द्वितीय प्रति लिफाफा संख्या दो में रखी जायेगी।

3	**के0मू0हा0 6(EC)**	यह प्रपत्र दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा। एक प्रति परिषद् को को लिफाफा संख्या दो में प्रेषित की जायेगी और दूसरी प्रति केन्द्र में सुरक्षित रखी जायेगी।
4	**के0मू0हा0 15**	यह प्रपत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। प्रथम तथा द्वितीय प्रति लिफाफा संख्या दो में बंद कर परिषद् को प्रेषित की जायेगी और तीसरी प्रति केन्द्र में सुरक्षित रखी जायेगी।
5	लिफाफा संख्या : एक का बाह्य अवारण	लिफाफा संख्या : एक के बाहर उपलब्ध कराये गये प्रपत्र के अनुसार दो प्रतियों में समस्त सूचनाएं अंकित की जायेंगी। एक प्रति लिफाफा संख्या : एक के बाहर चस्पा की जायेगी एवं दूसरी प्रति लिफाफा संख्या : एक के अंदर रखी जायेगी।
6	लिफाफा संख्या : दो का बाह्य अवारण	लिफाफा संख्या : दो के बाहर उपलब्ध कराये गये प्रपत्र के अनुसार दो प्रतियों में समस्त सूचनाएं अंकित की जायेंगी। एक प्रति लिफाफा संख्या : दो के बाहर चस्पा की जायेगी एवं दूसरी प्रति लिफाफा संख्या : दो के अंदर रखी जायेगी।
7	परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र पर पंजीकृत छात्रों की नामावली	केन्द्र से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के अनुक्रमांकयुक्त नामावली केन्द्र में ही सुरक्षित रखी जायेगी।

नोट :

- **जिन प्रपत्रों/प्रारूपों की नमूना प्रतियां उपलब्ध करायी जायेंगी, केन्द्र स्तर पर आवश्यकतानुसार फोटो प्रति तैयार कर सूचना अंकित की जायेगी।**

iv. केन्द्र पर हाईस्कूल एवं इण्टर परीक्षा हेतु उक्तवत अलग–अलग अभिलेख तैयार कर लिफाफा संख्याः एक एवं लिफाफा संख्या :दो में सीलबंद कर संकलन/उप संकलन केन्द्र के माध्यम से परिषद् को प्रेषित किये जायेंगे। ध्यान रहे कि हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट की सामग्री अलग–अलग लिफाफों/पैकेटों में सीलबंद कर प्रेषित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र (मूल्यांकन केन्द्र) तैयार किये जाने वाले लिफाफों/पैकेट का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	लिफाफा संख्या	रखी जाने वाली सामग्री	अभ्युक्ति
1	एक	**OMR** एवार्ड ब्लैंक, **सी0सी0 16, प्रपत्र–03** : जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाना है एवं लिफाफा संख्या : एक का **बाह्य आवरण प्रपत्र**।	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट की सामग्री अलग–अलग लिफाफों/पैकेट मे रखी जायेगी।
2	दो	**प्रपत्र : दो (प्राप्तांक सूची), OMR** एवार्ड ब्लैंक का प्रतिपर्ण, **सी0सी0 16 की द्वितीय प्रति, के0मू0हा0 6(S), प्रपत्र–03** : जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाना है **के0मू0हा0 6(EC), के0मू0हा0 15** की प्रथम एवं द्वितीय प्रति एवं लिफाफा संख्या : दो का **बाह्य आवरण प्रपत्र**	हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट की सामग्री अलग–अलग लिफाफों/पैकेट मे रखी जायेगी।

v. **परीक्षा केन्द्र (मूल्यांकन केन्द्र) स्तर पर गठित समिति निर्दिष्ट समयावधि में उक्त कार्य का सम्पादन कर समस्त सामग्री विधिवत सीलबंद लिफाफों में निकटतम संकलन/उप संकलन केन्द्र में जमा करायी जायेगी।**

7- **प्रत्येक स्तर अर्थात विद्यालय, परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्र स्तर पर परीक्षाफल निर्माण की उक्त समस्त प्रक्रिया अति गोपनीय होगी किसी भी दशा में किसी भी स्तर से इसका प्रकटीकरण नहीं किया जायेगा। किसी विद्यालय अथवा मूल्यांकन केन्द्र अथवा किसी अन्य स्तर से की गयी कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे परीक्षा एवं परिषद् की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो अथवा परीक्षा की गोपनीयता भंग हो, में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित/तों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।**

8- उक्त प्रक्रिया के अनुसार जिन परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जायेगा यदि वे उक्तवत प्रक्रिया से प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो **उन्हें शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा देने का विकल्प भी प्रदान *किया जायेगा।***

9- उप संकलन केन्द्र निर्धारित कार्यक्रमानुसार सामग्री प्राप्त कर मुख्य संकलन केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। मुख्य संकलन केन्द्र सामग्री प्राप्ति के तत्काल बाद सामग्री परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराऐंगे। उप/मुख्य संकलन केन्द्र पर सामग्री की प्रप्ति एवं सुरक्षा हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी।

10- उक्त समस्त कार्यों का संपादन निम्न समयसीमा के अंतर्गत किया जायेगा–

क्र0सं0	कार्य का स्तर	कार्य का विवरण	समयावधि
1	विद्यालय	पंजीकृत छात्र–छात्राओं का मूल्यांकन एवं निर्धारित प्रपत्रों पर उनके प्राप्तांकों की अंकना कर सूचना परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र को उपलब्ध कराना	**अंतिम तिथि – 13 जुलाई 2021**
2	परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्र	विद्यालयों से प्राप्त अंकों की जॉच एवं उनकी **OMR** एवार्ड ब्लैंक/सीसी 16 पर अंकना कर समस्त सूचना/सामग्री उप संकलन/संकलन केन्द्र को उपलब्ध कराना	**अंतिम तिथि – 17 जुलाई 2021**
3	उप संकलन केन्द्र	परीक्षा (मूल्यांकन) केन्द्रों से प्राप्त समस्त सामग्री को प्राप्त/संकलित कर मुख्य संकलन केन्द्र को उपलब्ध कराना	**अंतिम तिथि – 18 जुलाई 2021**
4	संकलन केन्द्र	संकलन/उप संकलन केन्द्रों से प्राप्त/संकलित समस्त सामग्री को परिषद् उपलब्ध कराना	**अंतिम तिथि – 20 जुलाई 2021**

11- मूल्यांकन कार्य की अवधि के दौरान विद्यालयों एवं परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्रों के निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था परिषद् के अतिरिक्त निदेशालय स्तर से भी की जा रही है।

12- विद्यालयों एवं परीक्षा/मूल्यांकन केन्द्रों में उक्त प्रक्रिया के दौरान कोरोना वायरस **(COVID-19)** के संक्रमण के बचाव/रोकथाम संबंधी भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर **जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

13- उक्त कार्य/प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले संस्थाध्यक्षों, अध्यापकों एवं कार्मिकों के पहचान पत्र को कोविड कर्फ्यू की स्थिति में पास के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। जिन अध्यापकों/कार्मिकों की तैनाती की जायेगी उनके नियुक्ति **आदेश पत्र/विद्यालय से मूल्यांकन कार्य हेतु कार्यमुक्त किये जाने के आदेश पास के रूप में मान्य होंगे।** अध्यापकों/कार्मिकों को तैनाती आदेश के साथ कोई वैध पहचान पत्र भी रखना होगा।

14- वर्तमान स्थिति में उक्त कार्य अपरिहार्य स्थिति के रूप में माना जायेगा। अतः जिन अध्यापकों/कार्मिकों की तैनाती उक्त कार्य हेतु की जायेगी, उन्हें संबंधित संस्थाध्यक्ष द्वारा अनिवार्यतः विद्यालय से संबंधित विद्यालय/परीक्षा केन्द्र हेतु कार्यमुक्त किया जायेगा।

15- यदि मुख्य शिक्षा अधिकारियों या परीक्षा कार्य में लगाये गये अध्यापकों एवं कार्मिकों को प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस रोकथाम संबंधी किसी कार्यक्रम में लगाया गया हो तो य**ह आवश्यक होगा कि उन्हें उक्त कार्य के सम्पादन हेतु उन कार्य दायित्वों से मुक्त किया जाना होगा।**

16- वर्तमान स्थिति में उक्त समस्त कार्य अर्थात मूल्यांकन, परीक्षा एवं परीक्षाफल निर्माण कार्य अपरिहार्य स्थिति के रूप में माना जायेगा। अतः जिन कार्मिकों की तैनाती इन कार्यों के सम्पादन हेतु की जायेगी, उन्हें अनिवार्यतः आवंटित कार्यों का सम्पादन निर्दिष्ट अवधि के अंतर्गत पूर्ण करना होगा।

17- **उक्तवत् कार्य सम्पादित किये जाने हेतु धनराशि की व्यवस्था हाईस्कूल एवं इण्टरमीडियेट परीक्षा, केन्द्र व्यय एवं मूल्यांकन मद आदि में स्वीकृत धनराशि से की जायेगी।** इस संबंध में विभिन्न स्तरों (विद्यालय/परीक्षा मूल्यांकन केन्द्र, संकलन केन्द्र) पर मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय की दरों का निर्धारण करते हुये तद्नुसार धनराशि का आवंटन किया जायेगा। इस हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

18- उक्त वर्णित प्रपत्र/प्रारूप विद्यालयी शिक्षा परिषद् की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in** के **BOARD EXAMINATION** ऑइकॉन पर भी उपलब्ध है।

19- उक्त कार्यों के संपादन में किसी भी समस्या अथवा शंका की स्थिति में निम्न दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं –

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	मोबाइल नम्बर
1	डॉ0 नीता तिवारी	सचिव	9411168544
2	श्री एन0सी0 पाठक	अपर सचिव	9410345168
3	श्री बी0एम0एस0 रावत	अपर सचिव	9412110199
4	श्री के0के0 वार्ष्णेय	संयुक्त सचिव	9837256839
5	श्री गोपाल स्वरूप	संयुक्त सचिव	9410700003
6	श्री सी0पी0 रतूड़ी	उप सचिव	7579246923
7	श्री डी0एस0 रौतेला	प्रवक्ता/शोध अधिकारी	8433484690
8	श्री रामेन्द्र ओझा	प्रवक्ता/शोध अधिकारी	9412937103
9	श्री मनोज पाठक	प्रवक्ता/शोध अधिकारी	9456382382
10	डॉ0 नंदन सिंह बिष्ट	प्रवक्ता/शोध अधिकारी	9411759487
11	श्री विजय शेखर बलोदी	प्रवक्ता/शोध अधिकारी	9411539617

संलग्नक : उक्तवत शासनादेश एवं उक्तवत प्रपत्र/प्रारूप।

भवदीय

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल।

पत्रांक : उ0वि0शि0प0–सिस्टम सेल/परि0प0/3230-6494/2021–22, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक (मा0शि0)/सभापति, उ0वि0 शि0 परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अपर निदेशक (मा0शि0), मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक (मा0शि0), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. अपर निदेशक (मा0शि0), कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा0शि0) उत्तराखण्ड।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 नीता तिवारी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।